संख्या-6/2020/231/सैंतीस-2-2020-1(45)/12टीसीए

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-20 फरवरी, 2020

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन अण्डा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-88/सात-3/कुक्कुट विकास नीति-2013/बजट/2019-20, दिनांक-23.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2013 के अन्तर्गत कामर्शियल लेयर/ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की योजनान्तर्गत लाभार्थियों द्वारा लिए गये बैंक ऋण पर क्रियाशील इकाईयों को ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं में सम्भावित बचतों से संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-103-कुक्कुट विकास-07-अण्डा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में कुल रू0-1584.01 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ चौरासी लाख एक हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोजित किये जाने की स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय केवल देय ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा। किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(3) योजनान्तर्गत धनराशि लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में धनराशि का नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुसार किया जायेगा।

(5) आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि के आहरण/व्यय में अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पुनर्विनियोग से अन्य योजनायें प्रभावित न हों।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि को आहरित कर पी.एल.ए., बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में अनुमन्य नहीं होगा तथा धनराशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। विचलन की दशा में इसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-103-कुक्कुट विकास-07-अण्डा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-116/दस-2020, दिनांक-13.02.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी.एम.-9

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-6/2020/231(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in